"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-15/तीन-जेल/2005.—छत्तीसगढ़ बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन नियम, 1964 के नियम 6 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, श्री खम्हनलाल कश्यप, अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ, कोरबा को तीन वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से राज्य परिवीक्षा मण्डल के अशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 7-15/तीन-जेल/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-15/तीन-जेल/2005 दिनांक 30 अगस्त, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 30th August 2013

NOTIFICATION

No. F 7-15/Teen-Jail/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of Rule 6 of the Chhattisgarh Release of Prisoners on Probation Rules, 1964, the Government of Chhattisgarh, hereby, appoints temporarily Shri Khamhanlal Kashyap, Advodate, Bar Association, Korba as a non-official member of the State Probation Board for a period of three years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.